कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज

आम–सूचना

किशनगंज जिले के विभिन्न सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गणित, भौतिकी, अंग्रेजी, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय में अतिथि शिक्षकों के रूप में सेवा देने हेतु इच्छूक अर्हताधारी अभ्यर्थी **दिनांक–17.07.2023 से 20.07.2023** तक आवेदन पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक की अवधि में **कार्यालय– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, किशनगंज** में जमा करा सकते हैं। समयावधि के समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों को आवेदित विषय में स्नातकोत्तर (न्यूनतम 50 प्रतिशत् अंक के साथ बी0एड0 की योग्यता होना अनिवार्य है। एस0टी0ई0टी0(पेपर–2) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही आवेदन के साथ शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, EWS से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अवश्य संलग्न करेंगे।

सुविधा के लिए निदेशक, (मा0शि0), शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक– 400 दिनांक–12.07.2023, विभागीय संकल्प संख्या–51 दिनांक–25.01.2018 तथा विषयवार, कोटिवार रिक्ति संलग्न है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
किशनगंज

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज

राजकीय/राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षक–2023

35% महिला का क्षैतिज आरक्षण के साथ रोस्टर समाशोधन

विषयवार, कोटिवार रिक्ति।

क्र0	विषय	EWS (आर्थिक रूप से कमजोर)	EWSF (आर्थिक रूप से कमजोर महिला)	UR (अना0)	UR-F (अना0 महिला)	EBC (अत्यंत निछड़ा वर्ग)	EBC-F (अत्यंत निछड़ा वर्ग महिला)	BC (पिछड़ा वर्ग)	BC-F (पिछड़ा वर्ग महिला)	SC (अनु0 जाति)	SC-F (अनु0 जाति महिला)	ST (अनु0 जनजाति)	R-F (आरक्षित श्रेणी की महिला	TOTAL Vacant (कुल रिक्ति)
1	जन्तु विज्ञान	1										1	1	3
2	वनस्पति शास्त्र			1							1			2
3	अंग्रेजी	1					1			2			1	5
4	भौतिकी				1	1								2
5	गणित	1					1							2
6	रसायन शास्त्र				1		1				1			3
	कुल	3		1	2	1	3			2	2	1	2	17

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(मा0शि0), किशनगंज

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
किशनगंज

अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन प्रपत्र

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित उच्च माध्यमिक माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लेने हेतु आवेदन पत्र

अतिथि शिक्षक उच्चतर माध्यमिक – प्रशिक्षित ☐ अप्रशिक्षित ☐

पासपोर्ट साइज का स्वअभिप्रमाणित फोटो

1. जिला का नाम :–
2. विषय :–
3. अभ्यर्थी का नाम :–
4. (क) पिता का नाम :–

   (ख) माता का नाम :–
5. जन्म तिथि :–
6. लिंग :– पुरूष ☐ महिला ☐
7. 1ली जनवरी2018 को आयु.वर्ष ☐ माह ☐ दिन ☐
8. स्थायी पता–ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर ....

   ....

   ....

   थाना .... जिला.............. पिन कोड ....

   मोबाईल नं0 .... ईमेल ....
9. पत्राचार का पता–ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर ....

   ....

   ....

   थाना .... जिला.............. पिन कोड ....
10. कोटि :– सामान्य ☐ आरक्षित ☐
11. आरक्षण की कोटि :– अ0ज0 ☐ अ0ज0जा0 ☐ अ0पि0व0 ☐ पि0व0 ☐
12. यदि विकलांग हो तो :–दृष्टि बाधित ☐ श्रवण बाधित ☐ अस्थिजन्य निःशक्त ☐

शैक्षणिक	विद्यालय / महाविद्यालय का नाम	बोर्ड / परिषद या विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अध्यापन का विषय	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत अंक
माध्यमिक						
उच्चतर माध्यमिक / इन्टरमीडिएट						
स्नातक / स्नातक प्रतिष्ठा						
स्नातकोत्तर						
बी टेक						
एम टेक						
प्रशैक्षणिक योग्यता						
बी.एड						

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही हैं। किसी प्रकार की सूचना गलत पाय जाने पर मेरी उम्मीदवारी रदद करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान ....

आवेदक का हस्ताक्षर

तिथि ....

प्राप्ति रसीद

श्री / सुश्री / श्रीमती .... से माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय / राजकीयकृत / राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक माध्यमिक विद्यालयों मे अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा लेने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या .... है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, पूरा नाम एवं पदनाम

पत्रांक 09/वि0वि0प0स0-09/2015 408
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12/07/2023

विषय : राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 371 दिनांक 03.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य के सभी जिलो मे अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयो मे निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने का निदेश देते हुए जिलावार रिक्ति अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के लिए समेकित रूप से उपलब्ध कराया गया है। संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये जिलावार रिक्ति के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-51 दिनांक 25.01.2018 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुरूप शिक्षक नियोजन होने तक निर्धारित पारिश्रमिक पर अपने आवश्यकतानुसार विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा लिये जाने की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए समय तालिका निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

क्रमांक	गतिविधि	निर्धारित तिथि
1	संकल्प में अंकित विषयों के लिए अतिथि शिक्षक की सेवा लेने हेतु उपलब्ध करायी गयी रिक्ति के अधीन विद्यालयों से अधियाचना प्राप्त किया जाना।	12 जुलाई, 2023 से 14 जुलाई, 2023
2	विद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर उपलब्ध कराये के रिक्त पदो का सामूहिकीकरण कर रोस्टर तैयार किया जाना।	15 जुलाई, 2023 तक
3	आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन।	16 जुलाई, 2023 तक
4	जिलावार विज्ञापन का प्रकाशन जिला स्तर से किया जाना।	17 जुलाई, 2023 को
5	प्रकाशित विज्ञापन के आलोक मे उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त किया जाना।	17 जुलाई, 2023 से 20 जुलाई, 2023 तक
6	मेधा सूची तैयार करना।	21 जुलाई, 2023 को
7	मेधा सूची का प्रकाशन।	22 जुलाई, 2023 को
8	मेधा सूची पर आपत्ति।	24 जुलाई, 2023 को
9	आपत्तियों का निराकरण।	25 जुलाई, 2023 को
10	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन।	26 जुलाई, 2023 को
11	अंतिम मेधा सूची के आलोक मे चयनित अभ्यर्थियों से विकल्प प्राप्त करना।	27 जुलाई, 2023 से 28 जुलाई, 2023 तक
12	चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के आलोक मे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयों मे अतिथि शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करना।	29 जुलाई, 2023 तक
13	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षकों आमन्त्रित कर योगदान कराना।	30 जुलाई, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक

विभागीय पत्रांक 371 दिनांक 03.07.2023 तथा जिलावार उपलब्ध कराये गये रिक्ति की प्रति विभागीय वेबसाईट www.educationbihar.gov.in पर भी देखा या डाउन लोड किया जा सकता है।

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 09/बि0वि0प0स0–09/2015 400 पटना, दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0)/ सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 299/किशनगंज, दिनांक 12-07-2023

प्रतिलिपि:- सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक +2 उच्च विद्यालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्रांकित निदेश के आलोक में अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक पर सेवा लेने के निमित्त अपने विद्यालय से सम्बन्धित अधियाचना 14 जुलाई 2023 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
किशनगंज

12/07/23
D.P.O. (Secondary)
Kishanganj

पत्रांक : 09/नि0मा0प0स्था0–09/2015 371/

बिहार सरकार

<u>शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।</u>

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 03.07.23

विषय : राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य के सभी जिलो से प्राप्त सूचना अनुसार विभागीय संकल्प संख्या–51 दिनांक 25.01.2018 में किये गये प्रावधान के तहत अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए कुल–3144 अतिथि शिक्षक विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयो में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे है।

ज्ञातव्य हो कि विभागीय संकल्प संख्या–51 दिनांक 25.01.2018 द्वारा किये गये प्रावधानानुसार संदर्भित विषयों के लिए स्वीकृत एवं रिक्त 4257 पदों पर अतिथि शिक्षको की सेवा ली जानी है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 3144 अतिथि शिक्षक सेवा दे रहे है तथा 1113 रिक्तियाँ उपलब्ध हैं।

उपरोक्त विषयों में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए छात्रहित में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निदेश दिया जा रहा है :–

(i) संलग्न जिलावार रिक्ति के तहत अपने जिले में अवस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयो में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों की सेवा विभागीय संकल्प संख्या–51 दिनांक 25.01.2018 मे किये गये प्रावधानों के तहत लेना सुनिश्चित करें।

(ii) किसी भी परिस्थिति में आपके जिला के लिए उपलब्ध रिक्ति से अधिक अतिथि शिक्षक की सेवा नहीं ली जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

31/7/23

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

विभागीय संकल्प सं0–51 दिनांक 25.01.2018 में किये गये प्रावधान के तहत अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु आवंटित जिलावार रिक्ति।

क्र0	जिला का नाम	आवंटित रिक्ति
1	पटना	51
2	नालन्दा	34
3	भोजपुर	32
4	बक्सर	19
5	रोहतास	34
6	भभुआ	20
7	गया	45
8	जहानाबाद	12
9	अरवल	9
10	नवादा	25
11	औरंगाबाद	28
12	मुजफ्फरपुर	50
13	सितामढ़ी	34
14	शिवहर	7
15	वैशाली	37
16	पू0 चम्पारण	52
17	प0 चम्पारण	40
18	सारण	43
19	सिवान	38
20	गोपालगंज	29
21	दरभंगा	41
22	मधुबनी	50
23	समस्तीपुर	48
24	सहरसा	20
25	सुपौल	23
26	मधेपुरा	22
27	पूर्णियां	32
28	अररिया	28
29	किशनगंज	17
30	कटिहार	31
31	भागलपुर	34
32	बांका	24
33	मुंगेर	17
34	शेखपुरा	8
35	लखीसराय	12
36	जमुई	21
37	खगड़िया	16
38	बेगूसराय	31
		1113
कुल		

पत्रांक : 09/बि०वि०प०स०-09/2015 .... (3)

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग।

संकल्प

DPO-RMSA
19.1.18

विषय : राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के सहायक शिक्षकों की आवश्यकतानुसार अनुपलब्धता के कारण उच्च माध्यमिक कक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम विशेषतः अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के अध्यापन कार्य को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लिया जाना आवश्यक है।

2. वर्तमान में राज्य के राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्न तालिका अनुसार विषयवार पद रिक्त है :–

क्र०सं०	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	अंग्रेजी	1041
2	गणित	791
3	भौतिकी	1024
4	रसायनशास्त्र	974
5	प्राणीशास्त्र	137
6	वनस्पतिशास्त्र	290
	कुल:–	4257

3. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त रिक्त पदों पर राज्य के अर्हताधारी बेरोजगार युवक/युवतियों की सेवा अतिथि शिक्षक के रूप में ली जायेगी। इसके लिए निर्धारित अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50 % अंकों के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी०एड० अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी०एड० की डिग्री। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर–II) में उत्तीर्णता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

अनुपलब्धता की स्थिति में अर्हता न्यूनतम 55 % अंकों के साथ बी०टेक० अथवा एम०टेक० की होगी।

अतिथि शिक्षक की सेवा स्वीकृत पद के विरुद्ध आरक्षण नियमों का पालन करते हुए ली जायेगी। इसके लिए विद्यालयवार रिक्त पदों का सामूहीकीकरण कर आरक्षण रोस्टर बनाकर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जायगा। विषयवार रिक्ति की गणना के आधार पर संबंधित विद्यालय के तदर्थ समिति की अधियाचना पर व्यापक प्रचार–प्रसार के मद्देनजर संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन से संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अतिथि शिक्षक की सेवा ले सकेंगे। यदि अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले व्यक्ति का कार्यकलाप असंतोषजनक पाया जाता है तो विद्यालय की तदर्थ समिति सक्षम प्राधिकार (जिला शिक्षा पदाधिकारी) का अनुमोदन लेकर अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त कर सकेंगी।

5. राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक विद्यालय के लिए शिक्षक के नियोजन होने तक कार्यरत रहेंगे।

6. उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के पाठ्यक्रम को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के पश्चात् ही अपेक्षित परिणाम की आशा की जा सकती है। विद्यालयों में वर्तमान छात्र संख्या को दृष्टिपथ में रखते हुए अतिथि शिक्षकों को ₹1000/–प्रति कार्य दिवस की दर से अधिकतम 25 दिन अर्थात् ₹25000/–प्रतिमाह पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है।

7. राजकीय/राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने वाले अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान मांग संख्या–21 के अन्तर्गत विपत्र कोड–2202021090001 के विषय शीर्ष–2802 संविदा सेवायें में उपबंधित राशि से किया जायेगा। इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा संबंधित विद्यालय से प्राप्त मांग पत्र के अनुरूप आवंटन संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा विद्यालय के माध्यम से ही ऐसे अतिथि शिक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

8. संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य अपने विद्यालय में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सूची बैंक खाता संख्या एवं कार्य दिवस की गणना के साथ संगत शीर्ष से राशि की निकासी कर RTGS के माध्यम से संबंधित अतिथि शिक्षक के खाते में राशि अन्तरित करेंगे।

9. वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

10. सामान्य प्रशासन विभाग की अनापत्ति संसूचित है।

11. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(1)

ज्ञापांक : 09/वि०वि०प०स०–09/2015 .... पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 09/वि०वि०प०स०–09/2015 .... पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उपकोषागार पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी अवकाश रक्षित पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 09/वि०वि०प०स०–09/2015 .... पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि गजट के आगामी असाधारण अंक में इसे प्रकाशित कर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 09/वि०वि०प०स०–09/2015 ....51.... पटना, दिनांक .25-01-.2018

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

25-1-18

सचिव,
शिक्षा विभाग।